संख्या-03/2015/219/74-2015-20(ब)/2013

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग — लखनऊ:: दिनांक 30 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-05-कैटालेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम फार सेरीकल्चर" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-831/सेरी0/लेखा/सी0डी0पी0/2014-15, दिनांक 26 फरवरी, 2015, शासनादेश संख्या-24/1176/74-2014-20(ब)/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 तथा शासनादेश संख्या-23/1131/74-2014-20(ब)/2013 दिनांक 12 अगस्त, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-05-कैटालेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम फार सेरीकल्चर-27-सब्सिडी" में प्राविधानित धनराशि रू0 177663 हजार (रूपये सत्रह करोड़ छिहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) में से अवशेष धनराशि रू0 134884.700 हजार (रूपये 83075.2 हजार केन्द्रांश एवं रू0 51809.5 हजार राज्यांश) की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है -

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कर प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्रधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति / सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय। किसी भी प्रकार के विचलन/ दुरूपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम/प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एस0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ स्वयं जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे।

(6) निर्माण कार्यो के लिए सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) आदि के निर्धारण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-05-कैटालेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम फार सेरीकल्चर-27-सब्सिडी" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या-219(1)/74-2015-20(ब)/2013-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एस0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ ।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
(9) नियोजन अनुभाग-4
(10) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in